B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 2(d)
Topic – **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992)**
Modified National Policy of Education-1986(1992)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 95

Continued from previous class...

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992) की विशेषताएं

3. **विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन** -

A) **प्रारंभिक शिक्षा** - इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा के निम्न तीन पहलुओं पर बल दिया गया -

i. सर्वसुलभ पहुँच एवं प्रवेश
ii. 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखना
iii. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

B)**अनौपचारिक शिक्षा** - ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ कर चले गए, या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे है, और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अधिगम वातावरण को सुधारने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय साधनों का प्रयाग किया जाए। साथ ही उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री भी बनाई जाए।

C) **माध्यमिक शिक्षा** - शिक्षा के इस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी, और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। इसी अवस्था में बच्चों को इतिहासबोध और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही इस अवस्था पर संवैधानिक दायित्वों एवं नागिरकों के अधिकारों से भी परिचित हो जाना चाहिए। जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरूचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए।

D) **व्यावसायीकरण** - प्रस्ताविक शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के सुव्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का लागू किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन तत्वों से छात्रों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम होगा और बिना विशेष रूचि अथवा प्रयोजन के उच्चतर अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों के लिए एक विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा की एक भिन्न धारा भी होगी जिसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़े हुए निर्धारित व्यवसायों के लिए तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम साधारतया माध्यमिक स्तर से बाद प्रदान किए जाएंगे, किन्तु इस योजना को लचीली रखते हुए कक्षा VIII के बाद ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

E) **उच्च शिक्षा** - विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है। शाक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापक बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल ज्ञान का अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है इसे देखते हुए उच्च शिक्षा को कहीं ज्यादा गतिशील होना है और अनजाने अध्ययन क्षेत्रों में निरन्तर कदम बढ़ाते रहना है।

To be continued....